

9/11/21

अभियान-2021



‘प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021’ के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 09.11.2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, भूपालसागर में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने स्वयं की ग्राम सांवता में स्थित निजी खातेदारी की आराजियात संख्या 1317 मी. रकबा 0.20 है., आ.सं. 1318 रकबा 0.08 है., आ.सं. 1319 रकबा 0.11 है., आ.सं. 1320 रकबा 0.12 है., आ.सं. 1321 रकबा 0.03 है., आ.सं. 1330 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2018/1332 रकबा 0.24 है. किता 7 रकबा 0.94 है. भूमियों पर पत्थरगढ़ी निशानात नहीं होने से आये दिन विवाद होने से पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली गई, हल्का पटवारी ने बताया कि मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवता में स्थित निजी खाते की आराजी सं. 1317 मी. रकबा 0.20 है., आ.सं. 1318 रकबा 0.08 है., आ.सं. 1319 रकबा 0.11 है., आ.सं. 1320 रकबा 0.12 है., आ.सं. 1321 रकबा 0.03 है., आ.सं. 1330 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2018/1332 रकबा 0.24 है. किता 7 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को 500 रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं हो, अन्य किसी न्यायालय में वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हो एवं मौके पर फसल खड़ी नहीं हो, कि जानकारी करने के उपरांत ही उभयपक्ष को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी का कमिश्नरी शुल्क मौके पर प्राप्त कर शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित करें। इस आशय बाबत तहसील जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

क्रमांक/राजस्व/प्र०गा०सं०अ० 2021/प.(24-2021)

दिनांक :- 09.11.2021

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. रतनीबाई पुत्री पेमा रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. देउ पुत्री पेमा रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. नन्दलाल पिता गोकल रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
4. देवीलाल पिता भगवान रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
5. देवीलाल पिता खुमा रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
6. देवीलाल पिता मांगु रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणलाल पिता अमरचंद गुर्जर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. लखमा पिता भुरा रेगर नि. सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 24/2021

--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांवता पटवार हल्का भूपालनगर तहसील भूपालसागर में स्थित खाता संख्या 315 के आ०सं० 1317 रकबा 0.20 है. आ०सं० 1318 रकबा 0.08 है. आ०सं० 1319 रकबा 0.11 है. आ०सं० 1320 रकबा 0.12 है. आ०सं० 1321 रकबा 0.03 है. आ०सं० 1330 रकबा 0.16 है. आ०सं० 2018/1332 रकबा 0.24 है. कुल किता 7 कुल रकबा 0.94 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर।